



उत्तर प्रदेश को नए मेडिकल कॉलेजों की अनुमति मिली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग \(NMC\)](#) ने उत्तर प्रदेश में सात नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमति दी और दो मौजूदा कॉलेजों में **सीटें बढ़ाई**।

मुख्य बंदी

- बजिनौर, बुलंदशहर, कृशीनगर, पीलीभीत, सुलतानपुर, कानपुर देहात और ललतिपुर में स्वायत्त राज्य मेडिकल कॉलेजों के लिये कुल मिलाकर **600 MBBS सीटों** की अनुमति जारी की गई है।
- इसके अतिरिक्त, आगरा और मेरठ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में क्रमशः 72 तथा 50 की वृद्धि की गई है, **जसिसे आगरा मेडिकल कॉलेज में कुल सीटें 200 एवं मेरठ मेडिकल कॉलेज में 150 हो गई हैं**।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission- NMC)

- NMC भारत में चिकित्सा शिक्षा और अभ्यास के लिये सर्वोच्च नियामक निकाय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2020 में [राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019](#) द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India- MCI) के स्थान पर की गई थी।
- इसमें चार स्वायत्त बोर्ड शामिल हैं: स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड तथा नैतिकता एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड।
 - NMC के पास एक चिकित्सा सलाहकार परिषद भी है, जो चिकित्सा शिक्षा और प्रैक्टिस से संबंधित मामलों पर आयोग को सलाह देती है।
- NMC प्रमुख स्क्रिनिंग परीक्षाओं जैसे कि NEET-UG, NEET-PG और FMGE के संचालन एवं देख-रेख के लिये ज़िम्मेदार है।
- यह **चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण के मानकों एवं गुणवत्ता**, चिकित्सकों के पंजीकरण तथा नैतिकता एवं चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन व रेटिंग को भी नियंत्रित करता है।
- NMC ने प्रतिष्ठित [वशिव चिकित्सा शिक्षा महासंघ \(World Federation for Medical Education- WFME\)](#) मान्यता भी प्राप्त की है, जिसका अर्थ है कि एनएमसी द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा डिग्रियों को वशिव स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
 - WFME की स्थापना वर्ष 1972 में वशिव चिकित्सा संघ, वशिव स्वास्थ्य संगठन और अन्य संगठनों द्वारा की गई थी।